बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

-:संकल्प:-

संचिका संख्या-11/आ०नी०-I-11/2015 सा०प्र०12575 पटना-15, दिनांक-09.07.2025

विषय:- बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में।

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 (अधिनियम सं०-03/1992) मूल अधिनियम है, जिसे बिहार विभाजन के पश्चात् संशोधित करते हुए संशोधित अधिनियम-17/2002 के रूप में अधिनियमित किया गया है, जिसमें आरक्षित वर्गों को दिये जाने वाला आरक्षण प्रतिशत निम्नवत संसूचित हैं:-

अनुसूचित जाति	-	16%
अनुसूचित जनजाति	-	01%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	-	18%
पिछड़ा वर्ग	-	12%
पिछड़े वर्गों की महिलायें	-	03%
		50%

2. राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-963 दिनांक-20.01.2016 तथा परिपत्र सं०-2342 दिनांक-15.02.2016 द्वारा बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर-आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

3. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित), मूल अधिनियम है, जिसे बिहार विभाजन के पश्चात् संशोधित अधिनियम-17/2002 के रूप में अधिनियमित किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है, उक्त अधिनियम के आरक्षण प्रावधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्गों की महिलायें (WBC) के लिए आरक्षित है।

4. इस प्रकार, महिलाओं हेतु संदर्भित 35% क्षैतिज आरक्षण 50% मेधा सूची तथा 47% आरक्षित सूची (3% पिछड़े वर्गों की महिलायें हेतु आरक्षित को छोड़कर), अर्थात् कुल 97% के विरूद्ध दी जा रही है। यह संख्या-34 आती है, जिसके आधार पर गैर-आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित वर्ग में से प्रत्येक को 17-17 पद अनुमान्य कराये जाते हैं।

5. बिहार राज्य द्वारा स्थापित आरक्षण नीति के तहत तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति: सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र सं०-70/दिनांक-11.06.1996 द्वारा निर्णय लिया जा चुका है कि **राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात् जो बिहार के मूल निवासी हैं।**

6. राज्य की उक्त आरक्षण नीति बिहार अधिनियम-15/2003 (अनुसूची-6 के रूप में संलग्न) द्वारा दिनांक-11.06.1996 के प्रभाव से निम्नरूपेण प्रावधानित किया गया है:-

"परन्तु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।"

बावजूद इसके गुणागुण (Merit) के आधार पर किसी भी वर्ग एवं क्षेत्र के अभ्यर्थी 40% खुली गुणागुण कोटि (गैर-आरक्षित वर्ग) के अधीन चयनित हो सकते हैं।

7. प्रस्तुत मामले में विभिन्न अभ्यावेदनों एवं अन्य स्त्रोतों से ध्यानाकृष्ट कराया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-963/दिनांक-20.01.2016 द्वारा महिलाओं के लिए प्रावधानित 35% क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत गैर-आरक्षित वर्ग के अधीन गुणागुण (Merit) के आधार पर अन्य राज्य की महिलाओं का भी चयन होने के कारण बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाएँ चयन से वंचित हो जा रही हैं।

8. उक्त बिन्दु पर बिहार राज्य के पड़ोसी राज्य यथा- झारखण्ड द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के अवलोकन से प्रथम द्रष्टया यह प्रतीत होता है कि झारखण्ड राज्य द्वारा अपने राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में मूल निवासियों को हीं सभी प्रकार के आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराया जा रहा है।

9. इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश राज्याधीन सेवाओं और पदों पर 20% क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए हीं सीमित किये जाने के संबंध में शासनादेश निर्गत किया गया है।

10. राज्याधीन सेवाओं एवं पदों में चूँकि महिलाओं के लिए अनुमान्य क्षैतिज आरक्षण भी मौलिक रूप से एक प्रकार का आरक्षण ही है और राज्य में किसी भी प्रकार का आरक्षण राज्य के मूल स्थायी निवासियों को ही देय है, अत्एव **महिलाओं को दिये जा रहे 35% क्षैतिज आरक्षण को भी संपूर्ण रूप से बिहार राज्य के मूल स्थायी निवासी महिलाओं के लिए ही अनुमान्य कराये जाने का युक्तिसंगत अवसर प्रतीत होता है।**

11. यह भी कि विभागीय संकल्प सं०-963 दिनांक-20.01.2016 द्वारा सभी वर्गों की महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्त्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर-आरक्षित) के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरे जा सकने का भी प्रावधान किया गया है जो महिलाओं की लैंगिक प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल प्रतीत होता है।

12. अत: समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि:-

(i) बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में सम्पूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी (आरक्षित वर्ग के साथ गैर-आरक्षित वर्ग को भी) महिला अभ्यर्थियों को हीं 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया जाय।

(ii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-34(2) में प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत मामले में भी 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में पश्चात्‌वर्त्ती भर्त्ती वर्ष में उन रिक्तियों को अग्रणित किया जायेगा तथा पश्चात्‌वर्त्ती भर्त्ती वर्ष में भी संगत कोटि के सुयोग्य महिला उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्त्ती वर्ष में गैर-आरक्षित एवं आरक्षित वर्ग की महिलाओं जो वरीयता क्रम (Merit List) में ऊपर हों, से भरा जा सकेगा।

13. इस संकल्प में किये गये प्रावधान के अतिरिक्त किसी बिन्दु पर संशय की स्थिति उत्पन्न होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निदेश प्रभावी माने जायेंगे।

14. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत आदेश/परिपत्र के असंगत अंश (यदि हो) इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

15. विषयांकित प्रस्ताव पर विधि विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता, बिहार की सहमति प्राप्त है।

16. यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(डॉ० बी० राजेन्दर)

अपर मुख्य सचिव,

सामान्य प्रशासन विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-11/आ० नी०-I -11/2015 सा०प्र०, पटना 12575 दिनांक- 09.07.25

प्रतिलिप- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 प्रतियाँ इस विभाग में भेजने की कृपा की जाय।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-11/आ०नी०-I-11/2015 सा०प्र०, पटना 12575 दिनांक- 09.07.2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी नियुक्ति आयोग/पर्षद, बिहार/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/07/25

सरकार के संयुक्त सचिव।